न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 01/2024

राज्य सरकार जरिये श्री धर्म सिंह गुर्जर, कृषि अधिकारी(फसल) कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार दौसा

....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स महवा कृषक विकास प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ठेकडा आर0.टी0ओ0 ऑफिस के सामने महवा जिला दौसा

..अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित:1. श्री धर्म सिंह गुर्जर कृषि अधिकारी (फसल)
2. श्री दीपेन्द्र कुमार यादव स्वयं अप्रार्थी

<u>निर्णय</u> दिनांक: 24.7.2024

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि श्री धर्म सिंह गुर्जर, कृषि अधिकारी (फसल) दौसा द्वारा दिनांक 23.6.2024 को बीज जब्त कर राजसात करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। उभय पक्ष बहस सुनी गई।
3. पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि दिनांक 23.6.2024 को महवा क्षेत्र के दौरे के दौरान मैसर्स महवा कृषक विकास प्रोड्यूसर कंपनी लि0 ठेकडा आर0टी0ओ0 ऑफिस के सामने महवा के निरीक्षण हेतु पहुँचे। मौके पर निरीक्षण के दौरान श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री मालीराम यादव लेखाकार उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान उत्पादक एवं विपणनकर्ता कंपनी प्लेटिनम एग्रो ओवरसीज 99, नोबल रेजीडेन्सी कामनहेली, बेनर घट्टा रोड, बैंगलोर के 150 पैकेट संकर बाजरा बीज बिना कय बिल के विक्रय परिसर में पाया गया। संकर बाजरा बीज पैकेट के सत्य चिन्हित लेबल का अध्ययन करने पर पाया गया कि पैकेट में भरे हुए संकर बाजरा बीज की अंकुरण क्षमता 70 प्रतिशत अंकित पाई गई जबकि न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मापदंडों के अनुसार संकर बाजरा बीज की अंकुंरण क्षमता 75 प्रतिशत होनी चाहिए जो कि बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 8 ए का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। बिना कय बिल व अमानक श्रेणी का संकर बाजरा बीज विकय के संबंध में मैसर्स महवा कृषक विकास प्रोड्यूसर कंपनी लि0 महवा के यहाँ मौके पर मौजूद प्रतिनिधि द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार उक्त फर्म द्वारा बीज के स्त्रोत अथवा कय के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाकर बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 13(1) ए का स्पष्ट उल्लंघन किया है। मौके से जब्त किये गये संकर बाजरा बीज को महवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 महवा की सुरक्षित अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मैसर्स महवा कृषक विकास प्रोड्यूसर कंपनी लि0 ठेकडा महवा जिला दौसा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 का उल्लंघन किया है। चूंकि बीज आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। अतः प्रा0 पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जब्तशुदा संकर बाजरा बीज कों राजसात फरमाया जावे।
4. अप्रार्थी स्वयं ने उपस्थित होकर जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी की मैसर्स महवा कृषक विकास प्रोड्यूसर कंपनी लि0 ठेकडा आर0टी0ओ0 ऑफिस के सामने महवा में संचालित है। उक्त संस्था का अनुज्ञापत्र अप्रार्थी के नाम जारी किया गया है। दिनांक 23.6.2024 को प्रातः 9.00 बजे बरसात

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:38 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर,दौसा

हो रही थी और उस दौरान मेरी उक्त संस्था के गेट के पास पूरण जाटव पुत्र ताफीराम जाटव निवासी खौंचपुरी ने अपने निजी कृषि कार्य हेतु बाजरा के 150 पैकेट प्लाट नं0/पीएस/881 45 केजी व पीएस/551 180 किस्म पीएस 90 रखकर साधन लेने के लिए चला गया। उसी समय निरीक्षण दल ने आकर उक्त बाजरे के पैकेटों को जब्त कर उक्त पैकेटों का मुझसे बिल मांगा गया तो निरीक्षण दल को मैने बताया कि उक्त पैकेटों का मालिक साधन लेने गया हुआ है, वह थोडी देर में आ जायेगा और आप उनके जांच पडताल कर लेना। लेकिन निरीक्षणकर्ता अधिकारी ने बिना जांच किये ही उक्त पैकेटों को मेरी संस्था का बताकर मुझे कारण बताओ नोटिस दे दिया तथा मेरी कोई बात नहीं सुनी। उक्त बाजरा के पैकेटों का मालिक पूरण जाटव थोडी देर में मौके पर आ गया और निरीक्षण दल को उक्त बाजरा के पैकेटों का बिल जो उसी के नाम से था, निरीक्षण दल को दिखा दिया। फिर भी निरीक्षण अधिकारी एवं उसकी टीम ने जबरदस्ती उक्त बाजरा के पैकेटों को मेरी संस्था के पैकेट बताकर मुझे नोटिस थमा कर चले गये। उक्त नोटिस का जवाब अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 27.6.2024 को एवं 4.7.2024 को कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार दौसा में दे दिया जिसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं किया गया। अप्रार्थी के द्वारा आगे कथन किया कि उक्त जब्त बाजरा के पैकेटों से मेरा व उक्त संस्था का कोई लेना देना नहीं है। उक्त बाजरा के पैकेटों का बिल भी पूरण जाटव के नाम से है एवं उक्त पूरण जाटव ने ही अपने निजी कृषि कार्य हेतु उक्त बाजरा के पैकेट खरीदे गये थे जो बरसात होने की वजह से दिनांक 23.6.2024 को मेरी संस्था के गेट पर रखकर साधन लेने के लिए चला गया था। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 8 ए इस प्रकार हैः–

"Dealers to ensure certain standards in respect of seeds :-
Every dealer of seeds in notified kind or variety or other than notified kind or variety of seeds shall ensure that the standards of quality of seeds claimed by him shall conform to the standards prescribed for the notified kind or variety of seeds under Sec. 6 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) and any other additional standards relating to size, colour and content of the label as may be specified."

7. बीज अधिनियम 1986 की धारा 6 इस प्रकार हैः–

The Central Government may, after consultation of the Committee and by notification in the Official Gazette, specify –
(a) the minimum limits of germination and purity with respect to any seed of any notified kind or variety: (b) the mark or label to indicate that such seed conforms to the minimum limits of germination and purity specified under clause (a) and the particulars which marks or label may contain.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:38 IST
Reason: SelfAttested

8. इसी की निरन्तरता में केन्द्र सरकार के कृषि मंत्र[illegible] अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर 1991 जिसे की भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया [illegible] बाजरे की अंकुरण की न्यूनतम सीमा इस प्रकार तय की गई हैः–

क.स	किस्म या उप किस्म	अंकुरण की न्यूनतम सीमा (प्रतिशत में)	शुद्धता की न्यूनतम सीमा(प्रतिशत में)
11	पर्ल मिलेट(बाजरा)	75	98

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि होता है कि दिनांक 23.6.2024 को श्री धर्म सिंह गुर्जर, कृषि अधिकारी (फसल) दौसा द्वारा दिनांक 23.6.2024 को फर्म महवा कृषक विकास प्रोड्यूसर कंपनी लि0 ठेकडा का निरीक्षण किया जाकर मौके से बाजरे के 150 पैकेट जब्त किये गये थे। उक्त जब्त पैकेटों को महवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 महवा को अभिरक्षा में संभलाया गया। हमने वरवक्त बहस अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बिल सं0 495 दिनांक 21.6.2024 की छाया प्रति का अवलोकन किया गया जिससे यह ज्ञात होता है कि मैसर्स विप्रो हाईब्रिड सीड्स प्रा0लि0 दिल्ली के द्वारा उक्त बाजरा का बीज कुल 150 पैकेटों का बिल पूरण जाटव निवासी महवा के नाम से जारी किया गया है। अप्रार्थी का जवाब पत्रावली पर उपलब्ध है।अप्रार्थी द्वारा बीज के अंकुरण के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। हमने कृषि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जब्त किये गये बाजरा के बीज के लेबल का अवलोकन किया (जिसकी छाया प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न है) जिसमें बाजरे के अंकुरण की न्यूतमत सीमा 70 प्रतिशत अंकित की गई है जो कि कृषि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार होना पाया गया जबकि न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मापदंडों के अनुसार संकर बाजरा बीज की अंकुरण क्षमता 75 प्रतिशत होनी चाहिए जो कि बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 8 ए, बीज अधिनियम की धारा 6 (क) एवं कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बीज अधिनियम की धारा 6 (क) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना का उल्लंघन है। हमने ऐसी स्थिति में जब्तशुदा बीज को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रा0 पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है । जब्तशुदा बीज के 150 पैकेट राजसात किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:08:38 IST
Reason: SelfAttested